दिनांक - 22.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 02 घण्टे में हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर आला कत्ल लोहे का दाव, 01 लूँगी व 01 अंगोछा बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 21.11.2024 को वादी श्री नरेश सैनी पुत्र फकीर चन्द निवासी मौहल्ला कृष्णा कुंज सैनी डेरी के पास थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के मामा बहादुर सैनी की हत्या कर दे की सूचना के आधार थाना मण्ड़ी पर मु0अ0स0 447/2024 धारा 103(1) बी.एन.एस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल हत्या की घटना का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र सफल अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही कर मात्र 02 घण्टे में हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी **अभियुक्त राजू उर्फ मणिनाथ पुत्र भगत साहू निवासी ग्राम मँगली नाथ थाना नवाबगंज जनपद बहराइच** को बाबा लालदास बाडा मन्दिर गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर आला कत्ल दाव, अभियुक्त के खून में सने हुए कपडे बरामद। अभियुक्त राजू उर्फ मणिनाथ बाबा जनपद बहराइच थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0-370/2022 धारा 380 भादवि में फरार चल रहा है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरणः- अभियुक्त राजू उर्फ मणिनाथ उपरोक्त से पूछने पर बताया कि मैं बाबा लालदास बाडे में मन्दिर पर करीब 4-5 माह पहले आया था तभी से मैं मन्दिर में ही रह रहा था। बहादुर मन्दिर में ही रहकर अकसर शराब पीता है तथा मीट भी खाता है। मैने बहादुर से ऐसा करने से कई बार मना किया लेकिन बहादुर नहीं माना इसी बात पर मेरा तीन-चार दिन पहले भी बहादुर से झगडा हुआ था जिसकी शिकायत बहादुर ने मन्दिर के पुरोहित से कर दी थी व मुझे मन्दिर से निकलवाना चाहता था। जिस कारण मैं गुस्से में था और कल रात को 01.00 बजे के करीब बहादुर ने शराब पीकर मेरे साथ फिर से गाली गलौच की और मैने गुस्से में आकर इसके कमरे मे जाकर इसी के दाव से सिर पर कई वार कर दिये थे जिससे बहादुर मर गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

राजू उर्फ मणिनाथ पुत्र भगत साहू निवासी ग्राम मँगली नाथ थाना नवाबगंज जनपद बहराईच

बरामदगी का विवरणः-

- 01 आला कत्ल लोहे का दाव
- 01 लूँगी
- 01 अंगोछा

अभियुक्त राजू उर्फ मणिनाथ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0- 370/2022 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली देहात बहराईच (**फरार चल रहा है**)
2. मु0अ0सं0- 109/2021 धारा 8/20 एनडीपीएसएक्ट थाना नवाबगंज बहराईच
3. मु0अ0सं0- 22/2018 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना नवाबगंज बहराईच
4. मु0अ0सं0- 421/2023 धारा 174ए भादवि थाना कोतवाली देहात बहराईच

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री सत्यवीर सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. व0उ0नि0 श्री विजेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना मण्डी सहारनपुर
5. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
6. है0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी सहारनपुर
7. का0 1460 अंकित पवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक:22.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव पुलिस द्वारा मारपीट व छेड़छाड़ के मुकदमें में 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी बडगाँव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त अंकित पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 56/2020 व मु0अ0सं0 304/19 धारा 354/323 भादवि (मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डी0) /न्यायिक मैजिस्ट्रेट देवबन्द) में ग्राम शिमलाना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

अंकित पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव जिला सहारनपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 225/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना बडगांव जिला स0पुर
2- मु0अ0सं0 304/19 धारा 354/323 भादवि थाना बडगांव जिला स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1- उ0नि0 श्री रामप्रकाश पाण्डेय थाना बडगांव जिला सहारनपुर
2- है0कां0 231 रोहित चौधरी थाना बडगांव जिला सहारनपुर
3- कां0 547 अंकुश तोमर थाना बडगांव जिला सहारनपुर
4- हो0गा0 2038 संजय थाना बडगांव जिला सहारनपुर

दिनांक - 22.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द साइबर हेल्प डेस्क द्वारा आनलाइन साईबर फ्राड़ के माध्यम से ठगी गयी 22,435/- रूपये की धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

अवगत कराना है कि दिनांक 03.06.2024 को वादी श्री मोहित अग्रवाल पुत्र हरिराज निवासी रेलवे रोड कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी की पत्नि के साथ अज्ञात साइबर ठगो ने आनलाइन टास्क में पैसे कमाने का लालच देकर 23000/- रूपये की धनराशि फ्राड के माध्यम से ठगी ली गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 346/24 धारा 420 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व फ्राड में गयी धनराशि को पीडितो के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के नेतृत्व मे थाना देवबन्द साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वादी मोहित उपरोक्त की पत्नी को आनलाइन पैसे कमाने का लालच देकर ठगी गयी कुल 23,000/- रूपये की धनराशि इण्डियन बैंक शाखा सिलीगुडी ब्रान्च बंगाल फ्रीज कराया गया था। प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 22/11/2024 को थाना साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा पीडित के खाते में कुल 22,435/- रूपये की धनराशि खाते में वापस करायी गयी है। पीडित द्वारा थाना देवबन्द साइबर हेल्प डैस्क टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

साइबर फ्राड़ में वापस कराने वाली साईबर टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना देवबन्द स0पुर
2. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. कम्प्यूटर ऑपरेटर रूपेन्द्र सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर
4. का0 2163 उमेश कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।
5. म0का0 हिमानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

दिनांक 22-11-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा शोभित यूनिवर्सिटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी पर "जान से मारने की नियत से फायरिंग" की घटना का सफल अनावरण करते हुए 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से को अवैध असलाह/कारतूस बरामद

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 21.11.2024 को वादी जावेद मलिक पुत्र जागीर निवासी ग्राम बहादुरनगर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 19.11.2024 को वादी शोभित यूनिवर्सिटी पर सुरक्षा में तैनात था तभी यूनिवर्सिटी के गेट पर दो मोटर साईकिल ओर एक स्कूटी पर बैठकर करीब 08 लड़के आये और उन लड़को को जब मैंने रोका टोका तो सभी ने उसके ऊपर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर देने व गाली-गलौच करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 507/24 धारा 352/109/351(2) बी0एन0एस0 बनाम 08 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल फायरिंग की घटना का संज्ञान लेकर शीघ्र अति शीघ्र अभियुक्तो को गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक गंगोह को आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए शोभित यूनिवर्सिटी पर सुरक्षाकर्मी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाले 05 **अभियुक्तगण (1) कमल सैनी पुत्र संदीप सैनी निवासी ग्राम मुबारिकपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर, (2) विशाल सैनी पुत्र ओमकुमार निवासी ग्राम फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर, (3) दानिश पुत्र कय्यूम अहमद निवासी मौहल्ला महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर, (4) अंशुल सैनी पुत्र टीकम सिंह निवासी ग्राम नन्दपुर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर व (5) सन्नी सैनी पुत्र रविन्द्र नि0 ग्राम मुबारिकपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को ग्राम गुडछप्पर रोड़ पर बाईपास की ओर से शोभित यूनिवर्सिटी की ओर आने वाली रोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 पिस्टल 32 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर, 02 तमंचे 315 बोरस व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरणः- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक स्वर में बताया कि हमारे दो मित्र सन्नी सैनी व मोहित दोनो शोभित यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते है, की लडाई कुछ समय पहले यूनिवर्सिटी में पढने वाले गर्वित से हो गयी थी तब हम लोगो ने सोचा कि गर्वित को सबक सिखाया जाये, दिनांक 19.11.2024 को हम चारो व गुरूवचन उर्फ अक्की, ललित, हम्माद तथा वंश सभी शोभित यूनिवर्सिटी के निर्माणाधीन बाईपास के निकट एक आम के बाग मे इकट्टे हुए तथा योजना तैयार की गयी कि लगभग दोपहर दो बजे से ढाई बजे के मध्य जब गर्वित यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकलेगा तो हम लोग द्वारा उसके साथ मारपीट की जायेगी तथा तमंचे से फायर किया जायेगा जिससे हमारी यूनिवर्सिटी मे दहशत बन सके। हम दोनो सन्नी व मोहित यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी क्लास मे रहेगे जिससे हमारे ऊपर कोई शक न कर सके। वही पर हमारे अतिरिक्त गुरूवचन उर्फ अक्की, ललित, हम्माद, वंश सभी के पास एक-एक तमंचा था। इसके बाद सन्नी तथा मोहित अपनी क्लास के अंदर चले गये। हम सभी लोग दो मोटर साईकिल तथा एक स्कूटी पर सवार होकर शोभित यूनिवर्सिटी के बाहर पहुँचे तथा यूनिवर्सिटी के

इर्द-गिर्द चक्कर काटकर गर्वित का इन्तजार करने लगे । जब काफी देर हो गयी और गर्वित नही आया तो यूनिवर्सिटी के गेट पर लगे गार्ड ने हमे रोका टोका तथा बार बार चक्कर काटने का कारण पूछा तो हम सभी के द्वारा उसके साथ गाली गलौच की गयी तथा हम सभी ग्राम जानखेड़ा जाने वाली रोड़ की ओर चल दिये । यूनिवर्सिटी के गार्ड के द्वारा हमारा पीछा किया गया उसके हाथ में बन्दूक देखकर हमे गुस्सा आ गया तथा हम सभी ने अपने अपने तमंचो व पिस्टल से हवा मे फायर किया इसके बाद भी जब हमे लगा कि गार्ड पीछे नही हट रहा है तो सभी चिल्लाकर बोले कमल मार साले के गोली इस पर कमल सैनी व सद्दाम के द्वारा गाली गलौच करते हुए गार्ड के ऊपर जान से मारने की नियत से दो फायर कर दिये थे। फिर हम सभी लोग हवाई फायरिंग करते हुए वहाँ से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

(1) कमल सैनी पुत्र संदीप सैनी निवासी ग्राम मुबारिकपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
(2) विशाल सैनी पुत्र ओमकुमार निवासी ग्राम फतेहपुर ढोल्ला थाना गंगोह सहारनपुर
(3) दानिश पुत्र कय्यूम अहमद निवासी मौहल्ला महल कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
(4) अंशुल सैनी पुत्र टीकम सिंह निवासी ग्राम नन्दपुर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
(5) सन्नी सैनी पुत्र रविन्द्र नि0 ग्राम मुबारिकपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

01 पिस्टल 32 बोर
01 जिन्दा कारतूस 32 बोर
02 तमंचे 315 बोर
04 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 36 रिजवान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. कां0 326 रिंकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. कां0 2452 रक्षित थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांक 22-11-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा गोकशी के मुकदमें मे वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे गोकशी की घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 22.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा गौकशी के मुकदमें में वांछित शातिर गौकश **अभियुक्त नदीम पुत्र इमरान निवासी धलापडा थाना सरसावा जिला सहारनपुर हाल निवासी मौ0 महल नई बस्ती इस्लामनगर बाईपास कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0सं0-303/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में शहरीपुल से कस्बा रामपुर मनिहारान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 191(2), 190,191(3), 109, 3(5) बीएनएस व 3/25/ 27सस्त्र एक्ट बढोतरी की गयी। अभियुक्त अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नदीम पुत्र इमरान निवासी धलापडा थाना सरसावा जिला सहारनपुर हाल निवासी मौ0 महल नई बस्ती इस्लामनगर बाईपास कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 119/21 धारा 8/20 एनडीपीएस अधि0 थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
2. मु0अ0स0 215/21 धारा 60/63 आवकारी अधि0 थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
3. मु0अ0स0 215/2008 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 7 सीएल एक्ट व 295 भादवि थाना सरसावा जिला सहारनपुर
4. मु0अ0स0 152/10 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना सरसावा जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री राधेश्याम थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
3. का0 95 विक्रान्त सरोहा थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
4. का0 1799 रोहित राणा थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर

दिनांक- 22-11-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दि0 16.11.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त मोनू पुत्र श्याम सिंह नि0 ग्राम मोहम्मदपुर बहलोलपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिंग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0स0 445/24 धारा 137(2)/61(2) बीएनएस बनाम मोनू आदि 03 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 22.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे दुष्कर्म के वांछित **अभियुक्त मोनू पुत्र श्याम सिंह नि0 ग्राम मोहम्मदपुर बहलोलपुर थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर** को चुन्हैटी अन्डरपास हाईवे के पास से गिरफ्तार किया गया। अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस के बयान के आधार मुकदमा उपरोक्त मे धारा 64(1) बीएनएस व 5L/6 पोक्सो अधि0 बढोतरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मोनू पुत्र श्याम सिंह नि0 ग्राम मोहम्मदपुर बहलोलपुर थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर

अभियुक्त का आपरधिक इतिहास-

मु0अ0स0 445/24 धारा 137(2)/61(2)/64(1) बीएनएस व 5L/6 पोक्सो अधि0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजय सिह थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर
3. म0उ0नि0 श्रीमति रुचि रानी थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर

दिनांकः 22.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध नियन्त्रण व अवैध शस्त्रो की तस्करी की रोकथाम एवं शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 22.11.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 शातिर **अभियुक्त फाजिल पुत्र बुल्ला नि0 ग्राम चर्रोह थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को 01 देशी तमन्चा व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित दृष्टि बाधित स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 452/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

फाजिल पुत्र बुल्ला नि0 ग्राम चर्रोह थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 अवैध तमन्चा

02 जिन्दा कारतूस 12 बोर

आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 452/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मनि0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जसबीर सिह थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
3. का0 95 विक्रान्त सरोहा थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
4. का0 1799 रोहित राणा थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर

दिनांकः 22.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा वारन्टी/एनबीडब्लू **अभियुक्त सचिन पुत्र हरपाल निवासी ग्राम रामूपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 2424/16 मु0अ0सं0 589/16 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर के अनुपालन मे एनबीडब्ल्यू वारण्ट में ग्राम रामूपुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सचिन पुत्र हरपाल निवासी ग्राम रामूपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर उम्र करीब 35 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

2- हे0का0 484 अरुण कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

दिनांकः 22.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी फतेहपुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी **अभियुक्त ओम सिंह पुत्र सीख चन्द निवासी ग्राम मोहम्मदपुर कंधेला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सख्या 81/07 व मु0अ0सं0 159/07 धारा 135 विद्युत अधिनियम (सम्बन्धित न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 04 सहारनपुर) को ग्राम मोहम्मदपुर कंधेला से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

ओम सिंह पुत्र सीख चन्द निवासी ग्राम मोहम्मदपुर कंधेला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार सांगवान थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. है0का0 532 ऋषिपाल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

दिनांकः 22.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर पुलिस द्वारा साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 04 शातिर ठग अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 21.10.2023 को वादी श्री अशोक कुमार पुत्र सोमलाल नि0 2920 एफ-1, शिव विहार कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी को इंश्योरेंस पोलिसी के पैसे दिलवाने का झांसा देकर वादी को भ्रमित करके वादी के खाते से 25,65,637/- रुपये अपने खाते में डलवा लेने के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0 14/2023 धारा 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट के पंजीकृत किया गया। विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज त्रिपाठी द्वारा सम्पादित की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर जालसाजी की घटना के शीघ्र सफल अनावरण व अभियुक्तो की गिरफ्तारी एवं पीड़ित की ऑनलाइन ठगी गयी संपत्ति वापस कराने हेतु आदेश-निर्देश दिए। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर (नोडल अधिकारी साइबर क्राइम) एवं पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक/विवेचक थाना साइबर क्राइम श्री पंकज त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए घटना में संलिप्त 04 नफ़र अभियुक्त **1- राहुल उर्फ आसिफ पुत्र इक़बाल निवासी ग्राम बहलोलपुर सेक्टर 65 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर, 2- विचित्र उर्फ़ विजय पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम औधा तहसील बबेरू थाना मरका जनपद बाँदा, 3- शिवम पुत्र प्रहलाद निवासी गुढौली कुश्मरा जनपद मैनपुरी व 4- कृष्ण पुत्र गिरराज निवासी खोदना खुर्द दादरी,नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर** को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज त्रिपाठी थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 मुबारिक हसन थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
3. क0ऑ0 गौरव तोमर थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
4. है०का० रोहित कुमार थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
5. का0 शकुन कुमार थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
6. का0 अरुण कुमार थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर
7. का0 89 अंकित कुमार थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 22.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।

दिनांकः 20.11.2024 से डा0 भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम जनपद सहारनपुर में प्रचलित मेरठ जोन की 27वीं अन्तरजनपदीय पुलिस जूडो, वुशू, ताइक्वांडों, कराटे एवं पेंचक सिलॉट प्रतियोगिता–2024 का समापन श्री अजय सिंह साहनी, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा आज दिनांकः 22.11.2024 को किया गया एवं प्रतियोगिता में विजयी रहे खिलाडियों एवं निर्णायकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर श्री रोहित सिंह सजवाण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर, श्री अभिमन्यू मांगलिक, पुलिस अधीक्षक नगर, सहारनपुर, श्री सागर जैन, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर, श्री शशि प्रकाश, क्षेत्राधिकारी लाइन्स, श्री प्रताप सिंह, सीएफओ, सहारनपुर, सुश्री प्रिया यादव, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक, श्री वीरेन्द्र बहादुर, प्रतिसार निरीक्षक एवं अन्य अधिकारी/कर्म0 उपस्थित रहे। आयोजित प्रतियोगिताओं के परिणाम निम्नवत हैः–

जूडो प्रतियोगिता पुरूष/महिला				
जूडो पुरूष 60 किग्रा	1	आरक्षी अजय	मेरठ	प्रथम
	2	–	–	–
जूडो पुरूष 66 किग्रा	1	आरक्षी जतिन	मेरठ	प्रथम
	2	मुख्य आरक्षी विनीत कुमार	गाजियाबाद	द्वितीय
जूडो पुरूष 73 किग्रा	1	आरक्षी परवेन्द्र सिंह	मुजफ्फरनगर	प्रथम
	2	आरक्षी पवन कुमार	बुलन्दशहर	द्वितीय
जूडो पुरूष 81 किग्रा	1	आरक्षी विजय	मेरठ	प्रथम
	2	मुख्य आरक्षी जयवीर सिंह	हापुड	द्वितीय
जूडो पुरूष 90 किग्रा	1	आरक्षी हरेन्द्र कुमार	मेरठ	प्रथम
	2	मुख्य आरक्षी मुकेश डबास	हापुड	द्वितीय
जूडो पुरूष 100 किग्रा	1	आरक्षी विधान	मेरठ	प्रथम
	2	मुख्य आरक्षी सुनील धामा	बुलन्दशहर	द्वितीय
जूडो पुरूष 100़ किग्रा	1	आरक्षी सुनील	मेरठ	प्रथम
	2	मुख्य आरक्षी हरेन्द्र राणा	सहारनपुर	द्वितीय
————————————————				
जूडो महिला –48 किग्रा	1	महिला आरक्षी मानसी	मेरठ	प्रथम
	2	–	–	–
जूडो महिला 48–52 किग्रा	1	महिला आरक्षी संगीता	मुजफ्फरनगर	प्रथम
	2	महिला आरक्षी वर्षा	सहारनपुर	द्वितीय
जूडो महिला 52–57 किग्रा	1	महिला आरक्षी सुमन सिंह	सहारनपुर	प्रथम
	2	महिला आरक्षी अंजु	गाजियाबाद	द्वितीय
जूडो महिला –63 किग्रा	1	महिला आरक्षी स्नेहा	मेरठ	प्रथम
	2	महिला आरक्षी वैशाली	सहारनपुर	द्वितीय
जूडो महिला –70 किग्रा	1	महिला आरक्षी तनु कुमारी	हापुड	प्रथम
	2	महिला आरक्षी सीता	बुलन्दशहर	द्वितीय
जूडो महिला –78 किग्रा	1	महिला आरक्षी आकांक्षा चौधरी	सहारनपुर	प्रथम
	2	महिला आरक्षी मीरा आर्य	हापुड	द्वितीय
जूडो महिला 78़ किग्रा	1	महिला आरक्षी विशाखा	मेरठ	प्रथम
	2	महिला आरक्षी संदीपा	बागपत	द्वितीय

चल वैजयन्ती

1. जूडो स्पर्धा (पुरूष वर्ग) – **जनपद मेरठ**
2. जूडो स्पर्धा (महिला वर्ग) – **जनपद सहारनपुर**
3. ताइक्वाण्डो स्पर्धा (पुरूष वर्ग) – **कमिश्नरेट गाजियाबाद**

4. ताइक्वाण्डो स्पर्धा (महिला वर्ग) – **जनपद मेरठ**
5. वुशू स्पर्धा (पुरूष वर्ग) – **जनपद मेरठ**
6. वुशू स्पर्धा (महिला वर्ग) – **कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर**
7. कराटे स्पर्धा (पुरूष वर्ग) – **जनपद सहारनपुर**
8. कराटे स्पर्धा (महिला वर्ग) – **कमिश्नरेट गाजियाबाद**
9. पेंचक सिलाट स्पर्धा (पुरूष वर्ग) – **जनपद सहारनपुर**
10. पेंचक सिलाट स्पर्धा (महिला वर्ग) – **जनपद सहारनपुर**

क्र0सं0	नाम कोच / रेफरी	विवरण
1	श्रीमती प्रियंका चौहान	ताइक्वांडो (08)
2	श्री अभिषेक चौधरी	
3	श्री शुभम	
4	श्री आर्यन सैनी	
5	श्री मयंक	
6	श्री रोनक शर्मा	
7	श्री गर्वित सैनी	
8	श्री तुषार चौहान	
9	श्री नन्दकिशोर (जिला सेकेट्री, कराटे संघ)	कराटे (05)
10	श्री अमित कुमार	
11	श्री विष्णु चाहर	
12	श्री शाकिर	
13	अनमता	
14	श्री दीपक गुप्ता(अर्न्तराष्ट्रीय रेफरी एवं सचिव जिला जूडो संघ)	जूडो (09)
15	श्री संजीव गुप्ता	
16	श्री राजी शर्मा	
17	श्री विवेक गर्ग	
18	सुषमा सिंह	
19	सुमन कश्यप	
20	श्री प्रदीप कुमार	
21	श्री अमन झा	
22	श्री कमलकान्त पंवार	
23	श्री पंकज कुमार (जिला सचिव पेंचक सिलाट)	पेंचक सिलाट (08)
24	श्री जैकी कुमार	
25	श्री सुशील कुमार	
26	श्री रविन्द्र कुमार	
27	पूजा	
28	रूपल	
29	अंजली	
30	आरती गिल	
31	श्री सोनवीर सिंह (सचिव जिला संघ)	वुशू (08)
32	श्री रोहित पुण्डीर	
33	श्री आकाश चौधरी	
34	श्री देव व्रत	
35	श्री अर्जुन सिंह	
36	श्री अमर सिंह	
37	राखी सिंह	
38	श्री गगनदीप	उदघोषक (01)